कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/शवि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् गोपी चंद बैरवा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि महापुरा, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर का स्थानांतरण राउमावि रामपुरा,खंडार,सवाईमाधोपुर किया गया।

गोपी चंद बैरवा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 4125/2019 गोपी चंद बैरवा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। अपील संख्या 4125/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 द्वारा गोपी चंद बैरवा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया कि स्थानांतरणों पर प्रतिबंध हट जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सकारण आदेश जारी करते हुए निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी गोपी चंद बैरवा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के गंभीर अस्थि संक्रमण से पीड़ित होने, स्थानान्तरित स्थान 150 किमी दूर होने के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि महापुरा, चौथ का बरवाडा,सवाई माधोपुर में यथावत रखने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी गोपी चंद बैरवा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी के गंभीर अस्थि संक्रमण एवं प्रतिकुल पारीवारिक परिस्थितियों को देखते हुए इनका समायोजन राउमावि राउमावि वार्ड नं. 01, महापुरा, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर व्याख्याता राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी–6/अपील सं.–1425/2019/गोपीचंद बैरवा/2020/19 दिनांक 28/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय—आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री भगत सिंह व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि डूंगराना,भादरा,हनुमानगढ़ का स्थानांतरण राउमावि सरदारपुरा खालसा,सक्तसर,हनुमानगढ़ स्थानांतरणधीन से राउमावि 14'S' माझीवाला, श्रीगंगानगर किया गया। श्री भगत सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 15057/2019 श्री भगत सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15057/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री भगत सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री भगत सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पत्नी का निवास स्थान से 22 किमी दूरी पर कार्यरत होने, स्थानान्तरण निवास स्थान से 300 किमी दूर होने तथा परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वंय पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि किराडा बड़ा,भादरा,हनुमानगढ़ की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 16.10.2019 को कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–6/या. 15057/19/भगत सिंह/2020/07 दिनांकः 28/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर..............................।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर